राजस्थानसरकार

निदेशालय, पशुपालन, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफवी.7(9)उनिप्र/2009/ जयपुर दिनांक

समस्त संयुक्त निदेशक,
पशुपालन विभाग,
राजस्थान।

विषयः– विभागीय कर्मचारियों के सत्र 2021–22 में दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश बाबत।

संदर्भः– अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय बीकानेर के पत्रांक (11) पीए/सीवीएएस/2021/118 दिनांक 24.06.2021

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि राजूवास, बीकानेर द्वारा पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यकम सत्र 2021–22 में प्रवेश हेतु प्रकिया माह जुलाई–अगस्त 2021 में प्रारंभ की जा रही है। शासन के आदेश दिनांक 03.09.2015 द्वारा विभाग के 4 राजकीय पशुपालन प्रशिक्षण संस्थानों बस्सी, कोटा, जोधपुर, उदयपुर में 5–5 सीटें विभागीय कर्मचारियों के प्रवेश हेतु आरक्षित रखते हुए प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। (प्रति संलग्न)

उक्त कार्यवाही बाबत संबधित अधिनस्थ कर्मचारियों को सूचित करावें एवं दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यकम में प्रवेश हेतु निर्धारित पात्रता रखने वाले योग्य विभागीय कर्मचारियो कें आवेदन/प्रार्थना पत्र मय अनुशंषा उचित माध्यम के निदेशालय को दिनांक 15.08.2021 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई कार्यवाही संभव नहीं हो सकेगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(डॉ0 विरेन्द्र सिंह)
निदेशक

क्रमांक एफवी.7(9)उनिप्र/2009/4001-16 जयपुर दिनांक 27/07/21

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतुः–

1. निजी सचिव, निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अधिष्ठाता राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय बीकानेर।
3. समस्त अतिरिक्त निदेशक, (क्षेत्र) पशुपालन विभाग, राजस्थान।
4. उपनिदेशक आई टी को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. उप निदेशक,, राजकीय पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान, बस्सी चक/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/ को सूचनार्थ।
6. उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुचामनसिटी।
7. प्रभारो, संस्थापन सी–2, निदेशालय पशुपालन, जयपुर।

निदेशक

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक:एफ.वी.7(9) उ.नि.प्र / 2009 /

दिनांक :–

–:: आदेश ::–

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा संचालित दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रवेश नियमों को राजस्थान पशुपालन अधिनस्थ सेवा नियम 1977 के अनुरूप पशुपालन विभाग में कार्यरत कर्मियों (पशुधन परिचर के पद पर 5 वर्ष से अधिक) को दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय, बीकानेर के प्रवेश नियमो में सम्मिलित करवाने के क्रम में पूर्व मे जारी विभागीय दो वर्षीय प्रशिक्षण में प्रवेश सम्बन्धी दिशा निर्देश/नियम 2002, इस क्रम में समय–समय पर जारी संशोधित दिशा निर्देश एवं परिपत्र को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया जाकर विभागीय कर्मीयों को दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी नवीन दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किया जाता है।

विभागीय कर्मियों हेतु दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नानुसार योग्यता अनिवार्य है:–

a. विभागीय कर्मचारी जो पशुधन परिचर के पद पर 5 वर्ष का अनुभव पूर्ण करते हो।
b. पुरानी पद्वति से हायर सैकण्डरी या नई पद्वति से सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा (भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान या उद्यान (कृषि), पशुपालन एवं जीव विज्ञान) विषयों से उत्तीर्ण हो।
c. विभागीय कर्मी की अधिकतम आयु आवेदन के समय 40 वर्ष से अधिक न हो।
d. विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण के दौरान नियमानुसार अवकाश लेना होगा एवं किसी प्रकार का भत्ता आदि विभाग द्वारा देय नही होगा। विभागीय कर्मीयो को स्वयं के खर्चे पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

विभागीय कर्मी प्रवेश हेतु आवेदन करते समय एक प्रति नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से अनुशंषा सहित निदेशालय को प्रस्तुत करेगें। प्रार्थना पत्र के साथ अंकतालिका व चरित्र प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र तथा नियंत्रण अधिकारी की अनुशंषा आवश्यक होगी।

विभागीय कर्मीयों के लिये प्रवेश हेतु अन्य दिशा निर्देश निम्नानुसार है:–

1. विभाग के 4 प्रशिक्षण केन्द्र राजकीय पशुपालन प्रशिक्षण, बस्सी चक (जयपुर) जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में 5–5 सीटे अर्थात कुल 20 सीटें राजूवास, बीकानेर, द्वारा विभागीय कर्मियों के प्रवेश हेतु आरक्षित रखना होगा।
2. आरक्षित स्थानों पर योग्य विभागीय अभ्यर्थी के उपलब्ध नही होने पर राजूवास, बीकानेर द्वारा सामान्य प्रक्रिया से प्रवेश पूर्ण किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय द्वारा इन विभागीय कर्मियों को प्रवेश देने हेतु विज्ञप्ति में इनकी कुल सीटों का वर्णन करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त विभागीय कर्मियों के आवेदनों की एक प्रति निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित करना आवश्यक होगा। निदेशक, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रवेश हेतु विभागीय कर्मियों के प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण पश्चात् 20 कर्मियों को संस्थावार चयनित कर सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित की जावेगी, तत्पश्चात् कर्मियों हेतु आरक्षित 20 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण की जावेगी।

उक्त दिशा निर्देश अविलम्ब प्रभावी माने जायेगे।

ह०
(एन.एल.गुप्ता)
शासन उप सचिव

क्रमांक:एफ.वी.7(9) उ.नि.प्र / 2009 / 854-58   दिनांक :– 08/09/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री पशुपालन, मत्स्य, एवं गोपालन विभाग ,राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं पशुपालन, गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव शासन सचिव पशुपालन मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक पशुपालन विभाग जयपुर को निम्नानुसार पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।
5. रक्षित पंजिका

शासन उप सचिव